

प्रेस नोट जनपद बदायूं दिनांक 23-01-2025

पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से बलात्कार के आरोप में संलिप्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 25000/-रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत मु०अ०सं० 100/2022 धारा 452/323/504/506/354/376 भादवि व 3(1)द,3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम रियासत पुत्र अशरफ खां निवासी ग्राम पिवारी थाना इस्लामनगर जनपद बदायूं की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री बलदेव सिंह खनेड़ा बिल्सी द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०)एक्ट, बदायूं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का० विकास कुमार थाना इस्लामनगर द्वारा माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०)एक्ट, बदायूं में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 23-01-2025 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०)एक्ट, बदायूं द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त रियासत उपरोक्त को धारा 452 भादवि के अन्तर्गत 07 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया एवं 10000/-रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 323 भादवि के अन्तर्गत 06 माह के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया एवं अंकन 1000/-रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 376 भादवि के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया एवं अंकन 25000/-रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार का० विकास कुमार इस्लामनगर तथा लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार राजपूत एवं विवेचक क्षेत्राधिकारी बिल्सी श्री बलदेव सिंह खनेड़ा का योगदान सराहनीय रहा।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूं

रंसार में दिन या समय हमेशा एक जैसे नहीं रहा करते। उनमें उतार-चढ़ाव और परिवर्तन आता ही रहता है। कहते हैं कि भाग्य का चक्कर देखते-ही-देखते राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना दिया करता है। लाखों को मालिक किसी पैसे-पैसे का मोहताज और मोहताज आदमी लखपति-करोड़पति बन जाया करता है। इस भाग्य पर का वश आज तक न तो हुआ है, न कभी हो ही सकता है। उस भाग्य के चक्कर के कारण ही आप आज मुझे इस दीन-हीन वेश में, एक भीख माँगने वाले के रूप में देख रहे हैं। क्या कहा आप मेरी कहानी सुनना चाहते है। क्या सचमुच आप मेरी आत्मकथा सुन भी सकेंगे। सुनकर उससे कुछ सीखेंगे या मेरा मजाक ही उड़ायेंगे खैर, यह तो आपकी मर्जी कि कुछ सीखें या मजाक उड़ायेंज ब आप सुनने पर जोर ही दे रहे हैं तो सुनिये ध्यान से।

एक मिनट ठहरिये। आत्मकथा सुनाने से पहले, अपने अनुभव के आधार पर आपको बता दूँ कि मुख्य रूप से भिखारी चार प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के भिखारी होते हैं। पैदायशी अर्थात् भीख माँगने वालों की औलाद, इन्हें आप खानदानी या परम्परा से बने भिखारी कह सकते हैं। दूसरे प्रकार के भिखारी वे लोग होते हैं। कि जिन्हें जान-बूझकर बलपूर्वक बी०ए० में

पास तो हो ही गया, पर अब तक आदतें काफी बिगड़ चुकी थीं। अब माता—पिता को भी देख—सुनकर पता चल गया था कि मैं सिगरेट—शराब पीने का बुरी तरह से आदी हो चुका हूँ। माता—पिता ने यह सोच कर विवाह कर दिया कि बहू के आने से सुधर जाऊँगा। पर नहीं, मैं सुधर नहीं सका। पिता अपने साथ अपने स्टोर पर बिठाते कि मैं काम—धंधा करने लगूँ, मैं वहाँ भी अवसर पाकर चोरी करने लगा। खिसक कर दारु पीने चला जाता। ग्राहकों के साथ अण्ट—अण्ट व्यवहार करने लगता। इससे ग्राहकों, आस—पास के लोगों की शिकायतें पिताजी के पास

डरा—धमकाकर भिखारी बना दिया जाता है।

देहातों—कस्बों से भागकर बड़े शहरों में आने वाले बच्चे बदमाशों के चक्कर में पढ़कर इस प्रकार के भिखारी बन

जाया करते हैं। फ्र फ्र फ्र

फ्रेम

क्रम से इ झझर क्र ×